

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

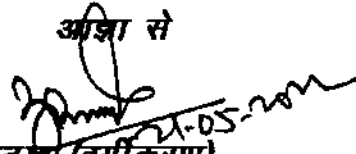
क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1447 / 2022

दिनांक : 21.05.2022

श्री धर्मेन्द्र शर्मा (RJ0286), न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, टोंक को दिनांक 27.04.2022 से 02.05.2022 तक 06 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 03.05.2022 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री शर्मा की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, टोंक के पद पर ही की गई।

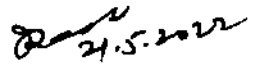
आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/75/1996/3993

दिनांक 21.05.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, टोंक को उनके पत्रांक 14 दिनांक 04.05.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्री धर्मेन्द्र शर्मा (RJ0286), न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, टोंक।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक।


सहायक रजिस्ट्रार